

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-28/2025 दिनांक 28.01.2025)
***दिनांक-28.01.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश, एक अदद पिकप वाहन से तस्करी कर पंजाब प्रान्त से बिहार ले जायी जा रही कुल 240 बोतल रायल स्टैग अवैध अंग्रेजी शराब (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 18 लाख रूपये) के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में अबैध शराब निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.01.2025 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा पिकअप वाहन से खाली अण्डे के गत्तों में छिपाकर ले जायी जा रही पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब 20 पेटी रायल स्टैग (कुल 240 बोतल) बरामद कर मौके से एक अभियुक्त संजय पुत्र सूरज भान निवासी ग्राम अमदपुर माजरा थाना सदर गोहना जनपद सोनीपत हरियाणा राज्य को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/2025 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

संजय पुत्र सूरज भान निवासी ग्राम अमदपुर माजरा थाना सदर गोहना जनपद सोनीपत हरियाणा राज्य

आपराधिक इतिहास:—

- 1.मु0अ0सं0 50/2024 धारा 30A बिहार मद्य निषेद एवं उत्पाद संसोधित अधिनियम 2008 थाना भोजपुर बिहार
- 2.मु0अ0सं0 45/2025 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण-

- 1.रायल स्टैग अवैध अंग्रेजी शराब कुल 20 पेटी (कुल 240 बोतल प्रत्येक 750ml) (कुल कीमत लगभग 2 लाख रूपये)

2. एक अदद पिकअप वाहन HR 46 G 5930 Ashok Leyland कम्पनी का (कीमत लगभग 16 लाख रूपये)
3. 100 अदद खाली अण्डो का गत्ता

अपराध का तरिका-

अभियुक्त द्वारा बताया कि हम पंजाब में निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब को पिकअप गाड़ी में लोड कर उनको खाली अण्डो के गत्तो के बीच छुपाकर बिहार ले जाते हैं तथा वहां पर अधिक दामो पर बेच कर लाभ कमाते हैं। आज भी मैं उपरोक्त बरामद शराब को अण्डो के खाली गत्तो के बीच छुपाकर पिकअप वाहन में लोडकर बांसी के रास्ते बिहार ले जा रहा था।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवि कुमार राय थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० विपिन सिंह चौकी प्रभारी बांसी थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
3. का० ज्ञान प्रकाश सूर्यवंशी थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
4. का० चंदन यादव थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
5. का० चन्द्रप्रकाश मिश्रा थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर

गोबध के मुकदमें फरार चल रहा 25,000/- रुपये का वांछित इनामी अभियुक्त एक अदद अवैध तमन्चा मय साथ एक गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.01.2025 को थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा थाना रविन्द्रनगर धूस क्षेत्रान्तर्गत एक अभियुक्त 1.राणा प्रताप यादव पुत्र महंत यादव सा० सिंगा पट्टी बांसी टोला थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी की गयी। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मऊल जनपद देवरिया में मु०अ०सं० 191/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था और वह फरार चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय मु०अ०सं० 14/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर

अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 191/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मईल (जनपद देवरिया से 25,000/- रुपये का इनामिया)।

2-मु0अ0सं0 14/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

राणा प्रताप यादव पुत्र महंत यादव सा0 सिंगा पट्टी बांसी टोला थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाले टीम-

01. थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्र थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।

02. व0उ0नि0 श्री जीत बहादुर यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर।

03. उ0नि0 श्री अनुराग यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।

04. उ0नि0 श्री सौरभ द्विवेदी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।

05. उ0नि0 श्री गणेश प्रजापति थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।

06. का0 मदनलाल यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।

07. का0 प्रमोद यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर।

08. का0 श्रवण कुमार थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित 01 नफर अभियुक्त व एक अन्य वारंटी अभियुक्त सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर मे वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.01.2025 को थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-12/2025 धारा 69,89,115(2),351(2),352 BNS से सम्बन्धित अभियुक्त 1.अजय सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह सा0 धर्मपुर बुजुर्ग थाना

रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर को व एक अन्य वारंटी मु0न0-11044/2022 से संबंधित वारण्टी हिरामन पुत्र पतलू निवासी माघी विशुनपुरा थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0-12/2025 धारा 69,89,115(2),351(2),352 BNS

2- मु0न0-11044/2022

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-अजय सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह सा0 धर्मपुर बुजुर्ग थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर (वांछित)

2- हिरामन पुत्र पतलू निवासी माघी विशुनपुरा थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर (वारंटी)

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्र थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।

2-व0उ0नि0 श्री जीत बहादुर यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।

3-उ0नि0 श्री सौरभ द्विवेदी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।

4-उ0नि0 श्री भारत विशाल थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।

5-का0 मदनलाल यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।

6-का0 श्रवण कुमार थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.01.2025 को थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा एसटी नं0-32/2015 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त गोलू वर्मा पुत्र लक्ष्मण वर्मा सा0 रामकोला रोड बाबली चौक भरवलिया थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



Edit with WPS Office

पंजीकृत अभियोग-

एसटी नं0-32/2015 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

गोलू वर्मा पुत्र लक्ष्मण वर्मा सा0 रामकोला रोड बाबली चौक भरवलिया
थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवि कुमार राय थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 वरूण सांकृत चौकी प्रभारी सुबाष चौक थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
3. का0 अनिल यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.01.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0नं0 1392/2023 धारा 128 सीआरपीसी से संबन्धित वारण्टी अभियुक्त कमलेश पुत्र रामहरख सा0 रामपुर बांगर पो0 बेलवा घाट थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 1392/2023 धारा 128 सीआरपीसी

गिरफ्तार अभियुक्त-

कमलेश पुत्र रामहरख सा0 रामपुर बांगर पो0 बेलवा घाट थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रामसहाय चौहान थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 रामेश्वर यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
3. का0 परमेश यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा 01 अदद आटो रिक्सा UP57AT9580 पियोजो, अप्पे लोडर कीमत लगभग- 250000/-रु0 (दो लाख पचास हजार रूपये) की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त-



Edit with WPS Office

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संन्तोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के तहत गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 28.01.2025 को थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा गैंगेस्टर अधिनियम के अपराधी द्वारा अवैधानिक कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति से खरीदी गयी आटो पियोजो अप्पे लोडर UP57AT9580 को थाना कोतवाली हाटा में पंजीकृत मु0अ0स0 339/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू कुमार गुप्ता पुत्र बंटीलाल गुप्ता निवासी भटवलिया थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी गिरोह बन्द में प्रभावी पैरवी कर उक्त वाहन को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्त किया गया।

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण- (कीमत लगभग 1 लाख 40 हजार)

1. आटो रिक्सा UP57AT9580 पियोजो, अप्पे लोडर

जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री धनवीर सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 2- व0उ0नि0 श्री सुर्यभान यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 3- का0 रितेश कुमार यादव थाना कप्तागनंज जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 48 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-85 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-36, व्यक्ति-104
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-54)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

